राजस्थान सरकार

कार्यालय शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं आयुक्त, ईजीएस

क्रमांकः 2(1)प्रशि/नरेगा/प्रशा/08-09 जयपुर,दिनांकः 19/5/09

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
समस्त,राजस्थान

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही नियुक्ति देने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यालय से विभिन्न जिलों में भेजे गए अधिकारियों से प्राप्त रिपार्ट से यह ज्ञात हुआ है कि विभिन्न जिलों में कई ऐसे व्यक्ति योजनान्तर्गत कार्यरत है, जिनको किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। जैसाकि आपको विदित है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना भारत सरकार के अधिनियम के अन्तर्गत संचालित एक योजना है एवं उसमें विभिन्न प्रावधानानुसार कार्य किया जाना अतिआवश्यक है। इस संबंध में विभिन्न प्रकार के रिकार्ड का संधारण भी किंया जाना होता है। अच्छे प्रशिक्षण की उपयोगिता पर पूर्व में भी कई बार आपको लिखा गया है किन्तु फिर भी अप्रशिक्षित लोगों को योजना के तहत् मेट, रोजगार सहायक एवं जे.टी.ए. लगाने से न केवल कार्य की पूर्ति हो रही है साथ ही कार्य की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ रहा है।

अतः एकबार पुनः ये निर्देश दिए जाते है कि इस योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर प्रशिक्षण के बाद ही व्यक्ति को नियुक्ति दी जाये साथ ही यह भी आवश्यक है कि मेट, रोजगार सहायक एवं जे.टी.ए. आदि को जॉब चार्ट एवं नरेगा गाइड लाईन की प्रति भी उपलब्ध करायी जावे, जिससे उनके द्वारा करवाये जा रहे कार्य में किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हों।

भवदीय,

19/5/09

(राजेन्द्र भाणावत)
शासन सचिव,ग्रा.वि.
एवं
आयुक्त, ईजीएस